

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.02.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-:

#### 01. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजबक्श पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी गौचढी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-87/21, 02. छबीले पुत्र कालीप्रसाद नि० रायपुर मांझा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-88/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अशरफी लाल पुत्र रामधीरज निवासी लहुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-63/21, 02. मातादीन पुत्र रामसूरत निवासी पाण्डेय पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-64/21, 03. रामबहादुर पुत्र रामसूरत निवासीपाण्डेय पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-65/21, 04. विजयलाल सोनकर पुत्र मजनू निवासी लहुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-66/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पारसनाथ सोनकर पुत्र वंशराज, 02. राम विनायक पुत्र वंशराज निवासीगण पिरकिहा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-35/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लालमन पुत्र मंगल निवासी केशवनगर थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-33/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नानबाबू पुत्र श्रीराम थाना अहिरनपुरवा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-64/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **06. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. धर्मेन्द्र कुमार उर्फ मिन्सल पुत्र भारत सिंह निवासी भोपतपुर डीहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-68/21, 02. रमेश सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी भोपतपुर डीहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-69/21, 03. मगनू पुत्र रामलखन निवासी जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-70/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **07. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. निर्मला पत्नी स्व० मंशाराम निवासी भरवटिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-62/21, 02. विनय कुमार पुत्र चनिका सिंह निवासी चौकनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-63/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **08. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. लोधे पुत्र शम्भू नि० गोबरहा लोनावा दरगाह थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-58/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **जालसाजी करने की आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना को० देहात पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त-चित्रवीर सिंह पुत्र हरि सिंह नि० रंजीत गढी खेड़िया बुर्जुग थाना खैर जनपद अलीगढ को थाना को० देहात में पंजीकृत मु०अ०सं०-366/20, धारा 419.420.467.468.471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने फर्जी/कूटरचित दस्तावेज लगाकर सहायक अध्यापक के पद पर ताजपुर प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहा था। जिसके सम्बन्ध में रामराज सिंह खण्ड शिक्षा अधिकारी झंझरी द्वारा थाना को० देहात में उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को० देहात पुलिस ने विवेचना के आधार पर दोषी पाये गये उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर झंझरी ब्लाक से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **छेडछाड व मारपीट करने के आरोप में 03 अभियुक्त गिरफ्तार-**

#### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. सुशील कुमार वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा
02. शिव प्रसाद पुत्र विजय प्रताप दुबे निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. कृष्ण कुमार उर्फ मोनू पुत्र लालबच्चा निवासी मछली बाजार थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-58/2021, धारा 323,504,506,354 भादवि व 7६8 पास्को एक्ट व 3(1)(द)(ध)(ब) एससी एसटी एक्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों व वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मनकापुर पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त से संबंधित मारपीट व नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तारकर्ता टीम:—

01. उ0नि0 डिग्री प्रसाद गौतम।
02. उ0नि0 संजीव कुमार वर्मा।
03. हे0का0 राजबहादुर यादव।
04. हे0का0 विनय सिंह।
05. का0 अखिलेश कुमार।